न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला-हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 –209/2019(2019/00325)

अनवान : –

1. जयचन्द पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. किरसन पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. ताराचन्द पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
3. भरतसिंह पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
4. कमला पत्नी रणसिंह जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
5. रणसिंह पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
6. बेगराज पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री भानुप्रताप सिंह बैनीवाल वादी
श्री अमरजीत बैनीवाल प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक: 02/09/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक मुन्सरी बारानी के वर्तमान खाता संख्या 35/36 के खसरा नम्बर 5 की 11.6980 हैक्टेयर बारानी में कमला का 270 हिस्सा, रणसिंह का 192–1/2 हिस्सा, देईचन्द, किरसन, ताराचन्द, भरतसिंह पि0 श्योराम की संयुक्त रूप से 170 हिस्सा तथा बेगराज पुत्र उदमीराम के नाम से 292–1/2 हिस्सा के नाम से बारानी खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

उक्त राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम जयचन्द की जगह देईचन्द दर्ज है जबकि देईचन्द का वास्तविक असली नाम जयचन्द पुत्र श्योराम है व वादी का नाम अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, भामाशाह, राशन कार्ड, विद्युत बिल, बैंक खाता, वोटर लिस्ट आदि में जयचन्द पुत्र श्योराम चला आ रहा है। देईचन्द व जयचन्द एक ही व्यक्ति है। उक्त नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है। वाद ग्रस्त भूमि चारों भाईयों ने बेगराज पुत्र उदमीराम से खरीद की थी। तब उस समय बैयनामा में संवहन से जयचन्द की जगह वादी का नाम देईचन्द दर्ज करवा दिया। प्रार्थी अनपढ़ व गंरीब व काश्तकार पैसा व्यक्ति है। वादी का नाम जमाबन्दी में जयचन्द की जगह देईचन्द दर्ज होने से वादी अपनी खातेदारी भूमि का सही ढंग से उपयोग–उपभोग नही कर पा रहा है, ना ही कोई सरकारी सुविधा ले पा रहा है। इसलिए वादी वाद भूमि में अपना नाम देईचन्द की जगह जयचन्द करवाना चाहता है। आदि आदि तथ्यों का दावा पेश किया।

(राजस्व)

उक्त मूल सद्भावी है। उक्त नाम में संशोधन नहीं होने पर वादी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। वादी उचित लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है। इसलिए वादी उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि व राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम देईचन्द पुत्र श्योराम की जगह जयचन्द पुत्र श्योराम करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने ईकबालदावा पेश किया व प्रतिवादी संख्या 7 ने जवाबदावा पेश किया, जो तसदीक बाद पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी जयचन्द पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी मुन्सरी के साक्ष्य करवाये गये । साक्ष्यवादी में जमाबंदी चक मुन्सरी बारानी सम्वत 2070–73 खाता संख्या 35/35 प्रदर्श 1, सरपंच ग्राम पंचायत मुन्सरी द्वारा प्रमाण पत्र प्रदर्श 2 प्रदर्शित करवायें।

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक अर्जीदावा अनुतोष डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा चक मुन्सरी बारानी के वर्तमान खाता संख्या 35/36 के खसरा नम्बर 5 की 11.6980 हैक्टेयर बारानी में कमला का 270 हिस्सा, रणसिंह का 192–1/2 हिस्सा, देईचन्द, किरसन, ताराचन्द, भरतसिंह पि0 श्योराम की संयुक्त रूप से 170 हिस्सा तथा बेगराज पुत्र उदमीराम के नाम से 292–1/2 हिस्सा के नाम से बारानी खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है व अन्य दस्तावेजात राशन कार्ड, विद्युत बिल, पहचान पत्र, आधार कार्ड में वादी का नाम जयचन्द पुत्र श्योराम दर्ज है। जिनकी चित्रप्रति पत्रावली में पेश की। वकील वादी ने समस्त दस्तावेजात में जयचन्द नाम होने का कथन किया है।

अत : वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक मुन्सरी बारानी के वर्तमान खाता संख्या 35/36 के खसरा नम्बर 5 की 11.6980 हैक्टेयर बारानी में कमला का 270 हिस्सा, रणसिंह का 192–1/2 हिस्सा, देईचन्द, किरसन, ताराचन्द, भरतसिंह पि0 श्योराम की संयुक्त रूप से 170 हिस्सा तथा बेगराज पुत्र उदमीराम के नाम से 292–1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। **उसमें वादी का सही नाम देईचन्द की जगह जयचन्द दर्ज किया जावें।** यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02/09/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 209 / 2019(2019 / 00325)

अनवान : –

1. जयचन्द पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. किरसन पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
2. ताराचन्द पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
3. भरतसिंह पुत्र श्योराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
4. कमला पत्नी रणसिंह जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
5. रणसिंह पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
6. बेगराज पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ जयसिंह चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री भानूप्रतापसिंह बैनीवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री अमरजीतसिंह बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक मुन्सरी बारानी के वर्तमान खाता संख्या 35 / 36 के खसरा नम्बर 5 की 11.6980 हैक्टेयर बारानी में कमला का 270 हिस्सा, रणसिंह का 192–1 / 2 हिस्सा, देईचन्द, किरसन, ताराचन्द, भरतसिंह पि0 श्योराम की संयुक्त रूप से 170 हिस्सा तथा बेगराज पुत्र उदमीराम के नाम से 292–1 / 2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। **उक्त वाद भूमि में वादी का सही नाम देईचन्द की जगह जयचन्द दर्ज किया जावें।** यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/09/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), भादरा, जिला हनुमानगढ़ (मुद्रा)

(जयसिंह चौधरी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़